

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2023/PM4/13(E-3437365)

New Delhi, Dt. 19.12.2023

The General Manager (P)
All Zonal Railways & Production Units
(As per standard list)

Sub: Clarification on "Upper Age Relaxation" in Intermediate Apprentice Examination to the Persons with Benchmark Disability (PwBD) employee.
Ref. ICF's letter No. PB/S3E/61/5/PQ/Vol.IV dated 06.07.2023 and 02.11.2023

One of the Production Units, namely ICF, vide above referred letter, has sought clarification on the following points:-

- Whether, extending zone of consideration to 5 times the number of vacancies and alerting the PwBD employees whoever comes within the extended zone is correct or the demand of PwBD employee to extend the zone of consideration 5 times amongst the PwBD employees only to be considered.
- Whether PwBD employees are eligible for upper age relaxation in the Intermediate Apprentice Selection?

2. Regarding "a", clarification has already been given through Railway Board's circular RBE 131/2023. As regards "b", the issue has been deliberated upon by the Board in consultation with the Department of Personnel and Training (DoP&T), and the clarification is as follows:

"There is no provision of age relaxation for PwBD employees appearing in departmental examinations."

3. Please acknowledge the receipt

This disposes off ICF's letter No. PB/S3E/61/5/PQ/Vol.IV dated 06.07.2023 and 02.11.2023.

Sanjay
(Sanjay Kumar)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
Ph. No. 43658/011-23303658
E-Mail Id - sanjay.kumar6@gov.in

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम4/13(ई-3437365)

नई दिल्ली, दिनांक: 19.12.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)।

विषय: बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) कर्मचारी के लिए इंटरमीडिएट अप्रेंटिस परीक्षा में "ऊपरी आयु छूट" पर स्पष्टीकरण।

संदर्भ: सवारी डिब्बा कारखाना का दिनांक 06.07.2023 एवं 02.11.2023 का पत्र सं.
पीबी/एस3ई/61/5/पीक्यू/वोल््यू. IV

उत्पादन इकाइयों में से एक यथा सवारी डिब्बा कारखाना द्वारा संदर्भाधीन पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है:-

(क) क्या रिक्तियों की संख्या के 5 गुना तक विस्तारित विचार क्षेत्र और विस्तारित क्षेत्र के भीतर आने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों कर्मचारियों को सतर्क करना सही है या बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों कर्मचारियों के बीच विचार क्षेत्र को 5 गुना बढ़ाने की बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों कर्मचारियों की मांग पर विचार किया जाए।


(ख) क्या बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारी इंटरमीडिएट अप्रेंटिस चयन में ऊपरी आयु छूट के लिए पात्र हैं?

2. रेलवे बोर्ड के परिपत्र आरबीई 131/2023 के माध्यम से "क" के संबंध में स्पष्टीकरण पहले ही दिया जा चुका है। जहां तक 'ख' का संबंध है, इस मुद्दे पर बोर्ड द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ विचार-विमर्श किया गया है और स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

“विभागीय परीक्षाओं में शामिल होने वाले बेंचमार्क विकलांगता वाले कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।”

3. कृपया पावती दें।

इससे सवारी डिब्बा कारखाना के दिनांक 06.07.2023 तथा 02.11.2023 के पत्र सं. पीबी/एस3ई/61/5/पीक्यू/वोल्वू. IV का निपटान हो गया है।


(संजय कुमार)

उपनिदेशक/स्थापना (अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

टेलीफोन नं. 43658/011-23303658


ईमेल: sanjay.kumar6@gov.in

सं. ई(एनजी)I/2023/पीएम4/13(ई-3437365)

नई दिल्ली, दिनांक: 19.12.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
5. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' एम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे एम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।


नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड